संख्या–15/44/74–का–4–2009

प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः: दिनांकः: 23 अक्टूबर, 2009

विषयः–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/चयनों में आबद्ध किये जाने वाले पर्यवेक्षकों/पेपर सेटर्स आदि की पारिश्रमिक की दरों का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या–पारिश्रमिक/अतिगोपन–1/2009, दिनांक 28.7.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समसंख्यक शासनादेश दिनांक 14.12.2005 में अंकित पारिश्रमिक/मानदेय की दरों को निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कमांक	पदनाम	प्रस्तावित दरें (रूपयों में)
1	2	4
1.	समन्वयी पर्यवेक्षक	675.00 प्रतिदिन
2.	सहायक समन्वयी पर्यवेक्षक	425.00 प्रतिदिन
3.	पर्यवेक्षक	425.00 प्रतिदिन
4.	सहायक पर्यवेक्षक	335.00 प्रतिदिन
5.	अन्तरीक्षक	270.00 प्रतिदिन
6.	लिपिक	230.00 प्रतिदिन
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	100.00 प्रतिदिन

विशेषज्ञों से संबंधित दरें (रूपयों में

1.	पेपर सेटर्स	1000.00 प्रति प्रश्नपत्र
2.	माडरेटर्स	675.00 प्रति प्रश्नपत्र
3.	परीक्षक	20.00 प्रति उत्तरपुस्तिका एवं नियमानुसार टी.ए. डी.ए.(केन्द्रीय मूल्यांकन की स्थिति में)
4.	साक्षात्कार हेतु बुलाये गये विशेषज्ञ	1000.00 प्रतिदिन तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
5.	इलाहाबाद स्थित आयोग कार्यालय में पेपर सेटरों/ समीक्षकों	1000.00 प्रतिदिन तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए.

	की बैठकों में उपस्थित होने के लिए	
6.	इलाहाबाद स्थित आयोग कार्यालय में केन्द्रीय मूल्यांकन में पधारे मुख्य परीक्षकों/ प्रादर्श उत्तर निर्माताओं हेतु	1000.00 प्रतिदिन तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
7.	प्रश्नांश लेखक (आइटम राइटर्स)	20.00 प्रति आइटम 40.00 प्रति अनुमोदित आइटम
8.	कार्यशाला के अतिरिक्त अन्य गोपनीय कार्य से आयोग कार्यालय में उपस्थित होने वाले विशेषज्ञों/त्रुटि निवारक परीक्षकों हेतु	750.00 प्रति दिन तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
9.	स्कोरर्स	465.00 प्रति दिन

2. अनुरोध है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/ चयनों में उपर्युक्तानुसार मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान करने का कष्ट करें ।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–5–1334/दस–2009, दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–15/44/74(1)–का–4–2009, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग–1
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव